रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
23-9-1972
GOVT. OF INDIA

सं० 425] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 23, 1972/आश्विन 1, 1894

No. 425] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 23, 1972/ASVINA 1, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 23rd September 1972

S.O. 621(E)/15/IDRA/72.—Whereas the industrial undertaking known as Messrs. Shamsher Sterling Cable Corporation Limited, Bombay, is engaged in the scheduled industry, namely, the electrical equipment Industry;

And whereas it has come to the notice of the Central Government that the volume of production of the articles manufactured in the said industrial undertaking had been gradually going down and the production has now come to a standstill consequent upon the closure of the said industrial undertaking by the management, for which, having regard to the economic conditions prevailing, there is no justification;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient to take urgent measures to remedy the situation arising out of the closure of the said industrial undertaking and to ensure that the production in the said scheduled industry does not suffer to the detriment of public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints, for the purpose of making a full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of:—

Chairman

Shri K. N. Ramaswami, Industrial Adviser, Directorate General of Technical Development, New Delhi.

Members

Dr. V. V. Kale, Joint Director, Directorate of Industries, Government of Maharashtra Bombay.

Shri M. P. Kulkarni, Assistant Manager, Industrial Finance Corporation of India, Bombay.

2. The said body shall submit its report within four weeks from the date of publication of this Order in the Official Gazette.

[No. F.11/13/72-CUC.]

K. S. BHATNAGAR, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 1972

का० आ० 621(अ)/15/आई डी आर ए/72—यतः मसर्स शमशेर स्टर्लिंग केबल कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई नामक औद्योगिक उपक्रम अनुसूचित उद्योग, अर्थात् वैद्युत उपस्कर उद्योग में लगा हुआ है ;

और यतः, केन्द्रीय सरकार को जानकारी में यह आया है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम में विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन का परिणाम धीरे धीरे कम होता रहा है और प्रबन्ध मंडल द्वारा उक्त औद्योगिक उपक्रम बन्द किये जाने के परिणामस्वरूप उत्पादन में अब बिल्कुल गतिरोध जिसका विद्यमान आर्थिक स्थिति को देखते हुये कोई औचित्य नहीं है, आ गया है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम के बन्द हो जाने से उत्पन्न परिस्थिति के उपचार, और यह सुनिश्चित करने के लिये कि उक्त अनुसूचित उद्योग में उत्पादन लोक हित पर प्रतिकूल रूप में न गिरे तुरन्त कार्यवाही करना समीचीन है ;

अतः, अब, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार, मामले की परिस्थितियों का पूर्णरूपेण अन्वेषण करने के प्रयोजन से, एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों से बना एक निकाय नियुक्त करती है :—

अध्यक्ष

श्री के० एन० रामास्वामी,
औद्योगिक सलाहकार,
तकनीकी विकास महा निदेशालय,
नई दिल्ली ।

सदस्य

डा० वी० वी० काले,
संयुक्त निदेशक,
उद्योग निदेशालय, महाराष्ट्र सरकार,
बम्बई।

श्री एम० पी० कुलकर्णी,
सहायक प्रवन्धक,
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम,
बम्बई।]

2. उक्त निकाय इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 4 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा :

[सं० फा० 11/13/73-सी यू सी]

के० एस० भटनागर, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972